प्रेस नोट
दिनांक 20.06.2026

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस द्वारा थाना धानेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–142/26, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सरजू उर्फ बैजू पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम उसरैना थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को ग्राम उसरैना से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 30.04.2026 को प्र0नि0 धानेपुर मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि ज्ञात हुआ कि अभियुक्त 1. सरजू उर्फ बैजू पुत्र नन्दलाल निवासी उसरैना थाना कौड़िया जनपद गोण्डा अपने सहयोगियों करन पत्थरकट्ट पुत्र नानमून निवासी दत्तनगर विसेन थाना कोतवाली नगर तथा सजन उर्फ साजन पुत्र सियाराम निवासी पूरे महोलिया थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित करता है। उक्त गिरोह द्वारा चोरी एवं नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्र0नि0 इटियाथोक द्वारा की जा रही थी। जिसमें आज दिनांक 20.06.2026 को थाना इटियाथोक से प्राप्त हुकुम तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गैंग लीडर सरजू उर्फ बैजू पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम उसरैना थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को ग्राम उसरैना से गिरफ्तार कर इटियाथोक पुलिस को सुपुर्द किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. सरजू उर्फ बैजू पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम उसरैना थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–142/26, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त सरजू उर्फ बैजू का आपराधिक इतिहास–
01. मु0अ0सं0– 346/2024, धारा 331(4), 305 बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0– 347/2024, धारा 331(4), 305 बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0– 330/2024, धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0– 325/2017, धारा 380,411,457 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0– 351/2017, धारा 394,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0– 507/2017, धारा 323,380,394,411,457 भादवि थाना को0 देहात जनप गोण्डा।
07. मु0अ0सं0– 535/2023, धारा 307,401 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0– 236/2024, धारा 323,504,506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

09. मु0अ0सं0– 518/2024, धारा 309(4),317(2),331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0– 547/2024, धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय
02. उ0नि0 राहुल प्रताप सिंह
03. हे0का0 विजयभान यादव
04. हे0का0 रूपेश कुमार
05. का0 ऋषित कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.06.2026</u>

<u>वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए गोण्डा पुलिस की विशेष पहल, घर–घर पहुंचकर 178 वारिष्ठ नागरिको की समस्याएं सुनकर किया गया निस्तारण–</u>

गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट बनायी गयी है जो नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करेगी। अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का 02 विशेष वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों (सोमवार, बुधवार, शानिवार) पर वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी कुशलक्षेम जानी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सी०पी०यू० टीमों को निर्देशित किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हुए नियमित संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई करें। उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.06.2026 को जनपदीय सीपीयू टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 178 वरिष्ठ नागरिकों से उनके आवास पर पहुंचकर संपर्क स्थापित किया गया। इनमें थाना कोतवाली नगर के 08, खरगूपुर के 01, इटियाथोक के 18, धानेपुर के 16, मोतीगंज के 12, मनकापुर के 27, छपिया के 18, खोड़ारे के 11, तरबगंज के 05, वजीरगंज के 14, नवाबगंज के 10, कौड़िया के 12, परसपुर के 04, कटराबाजार के 15 तथा महिला थाना के 07 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। संपर्क अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का कुशलक्षेम जाना गया, तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस की इस जनहितकारी एवं संवेदनशील पहल की वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सराहना की गई तथा उन्होंने पुलिस के प्रति अपना विश्वास एवं संतोष व्यक्त किया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.06.2026</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना को0 नगर, पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की आरोपी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–571/26 धारा 108 बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्ता– माधुरी पत्नी स्व. ननके गोस्वामी, निवासी ग्राम सिटकिहवा रुद्रपुर बिसेन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

वादी रामवचन पुत्र स्व० तुलसीराम निवासी ग्राम परसिया गूदर चितैय्या जोत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसका पुत्र ननके दिनांक 15.06.2026 को अपनी पत्नी माधुरी देवी एवं बच्चों को विदा कराकर अपने घर ले जाने हेतु अपनी ससुराल ग्राम सिटकिहवा, मौजा रुद्रपुर विसेन थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा गया था। दिनांक 18.06.2026 को स्थानीय पुलिस चौकी मिश्रीलिया द्वारा ननके की मृत्यु की सूचना दी गई है। सूचना पर वादी अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसके पुत्र ननके का शव ससुराल के बरामदे में चारपाई पर पड़ा था। वादी का आरोप है कि उसके पुत्र की हत्या उसकी पत्नी माधुरी देवी, उसकी सास तथा माधुरी देवी के कथित प्रेमी द्वारा मिलकर की गई है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 20.06.2026 को विवेचना के दौरान दोषी पाए गयी आरोपी अभियुक्त माधुरी पत्नी ननके गास्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>अभियुक्ता का नाम पता–</u>

01. माधुरी पत्नी स्व. ननके गोस्वामी, निवासी ग्राम सिटकिहवा रुद्रपुर बिसेन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–571/26 धारा 108 बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. प्र0नि0 बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना को0 नगर।
02. हे0का0 हेमन्त कुमार पाठक।
03. रि0का0 विशाल यादव।
04. म0का0 रीमा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.06.2026</u>

<u>ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना को0 नगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड की धनराशि ₹3,31,629/- पीड़ितों को कराई गई वापस-</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए साइबर फ्रॉड के शिकार हुए पीड़ितों की कुल ₹3,31,629/- (तीन लाख इकतीस हजार छह सौ उन्तीस रुपये) की धनराशि वापस कराई गई। नोडल अधिकारी श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री विंदेश्वरीमणि त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर की साइबर हेल्पडेस्क टीम एवं साइबर सेल के समन्वय से संबंधित बैंक से संपर्क स्थापित कर प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों की धनराशि उनके खातों में वापस कराई जा सकी।

<u>''धनराशि प्राप्त करने वाले पीड़ितों का विवरण-''</u>

रूपेश कुमार चौधरी- ₹2,70,000/-
अंजनी कुमार सोनी- ₹1,218/-
काजी मारूफ अहमद- ₹5,913/-
अभय अवस्थी- ₹1,000/-
पूनम उपाध्याय- ₹35,000/-
अंजय पाण्डेय- ₹1,500/-
अंगद सिंह- ₹7,998/-
सूरज ओझा- ₹9,000/-

धनराशि वापस मिलने पर सभी पीड़ितों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा तथा थाना कोतवाली नगर की साइबर टीम का आभार व्यक्त किया।

<u>''जनता से अपील''</u>

साइबर धोखाधड़ी होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर ''1930'' अथवा पर शिकायत दर्ज कराएं। सूचना देने में विलम्ब होने पर अपराधियों द्वारा धनराशि निकाले जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे धन वापसी की संभावना कम हो जाती है। ऑनलाइन खरीदारी केवल अधिकृत वेबसाइटों से करें। किसी भी प्रकार के लालच, फर्जी निवेश योजना, धन दोगुना करने के प्रस्ताव, ऑनलाइन ट्रेडिंग, लॉटरी या पुरस्कार जीतने के झांसे में न आएं। अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड, आधार, पैन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

<u>''साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव''</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सतर्कता बरतें।
02. किसी अनजान व्यक्ति को बैंक विवरण, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी न दें।
03. सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचें।
04. संदिग्ध लिंक एवं फर्जी वेबसाइटों पर क्लिक न करें।
05. मजबूत एवं सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करें।
06. ऑनलाइन गतिविधियों एवं बैंक खातों की नियमित निगरानी रखें।
07. साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

''साइबर हेल्पडेस्क टीम''

1. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा (नोडल अधिकारी)
2. आ0 पंकज कुमार (साइबर पोर्टल संचालक)
3. रि0आ0 अभय प्रताप सिंह (साइबर पोर्टल संचालक)
4. म0आ0 आरती गौतम (साइबर पोर्टल संचालक)

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.06.2026</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से 02 हत्याभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 43,000—43,000/— के अर्थदण्ड की सजा—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी राम केवल यादव पुत्र स्व० रामजगत यादव निवासी ग्राम भसमा, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसका पुत्र कृष्ण कुमार यादव, जो जनता इंटर कॉलेज इटियाथोक में शिक्षक पद पर कार्यरत था, गोण्डा नगर क्षेत्र में किराये के मकान में रहता था। दिनांक 28.01.2023 को समय लगभग 07:35 बजे अभियुक्त संदीप यादव पुत्र स्व० रामधनी यादव निवासी नेवलगंज थाना डेल्टा नगर, जनपद गोण्डा अपने एक अज्ञात साथी के साथ मृतक के कमरे पर पहुंचा तथा रुपये के लेन—देन को लेकर विवाद करने लगा। आरोप है कि रुपये न देने पर अभियुक्तगण ने कमरे में घुसकर मृतक को पकड़ लिया तथा उसका सिर दीवार पर बार—बार पटककर गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के उपरांत अभियुक्तगण मृतक के पास मौजूद रुपये छीनकर फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों— संदीप यादव व जग्गा उर्फ जवाहिर मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण—

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.06.2026 को थाना नगर में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना को0 नगर के पैरोकार का0 दुर्गेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 प्रमोद कुमार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दानिश हसनैन द्वारा अभियुक्तगण संदीप यादव व जग्गा उर्फ जवाहिर मिश्रा को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रू0 43,000—43,000/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता—

01. संदीप यादव आयु पुत्र स्व० रामधनी यादव, निवासी—ग्राम नेवलगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
02. जग्गा उर्फ जवाहिर मिश्रा पुत्र स्व० मेवालाल मिश्रा, निवासी—ग्राम डेहरास, थाना—परसपुर, जिला गोण्डा।

अभियोग का विवरण—

01. मु0अ0सं0—81/23, धारा 302,201,380,411,449 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>